न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी श्री दमयंती कंवर (आर.ए.एस.)

जी.सी.एम.एस. नम्बर– 2021/765

मुकदमा नम्बर 53/2020 — दायर दिनांक : 19–03–2020

1. मिश्री देवी पत्नी जगनाराम उर्फ जगदीश
2. सुमेर सिंह पुत्र जगनाराम उर्फ जगदीश
3. किशोर सिंह पुत्र जगनाराम उर्फ जगदीश

} समस्त जाति गुर्जर निवासी देवीपुरा तहसील नवलगढ।

– वादी

बनाम

1. कोयली पत्नी स्व0 रिछपाल
2. गिरधारी पुत्र स्व0 रिछपाल
3. छोटूराम पुत्र नानूराम
4. प्रेम पुत्री नानूराम
5. बिमला पुत्री नानूराम
6. भंवरलाल पुत्र नानूराम
7. मोहन पुत्र सुरजाराम
8. रघुनाथ पुत्र रिछपाल
9. श्योकोरी पत्नी नानूराम

} समस्त जाति गुर्जर निवासी देवीपुरा तहसील नवलगढ जिला झुंझुनूं।

10. शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ बीकाने रे एण्ड जयपुर शाखा चिराणा झुन्झुनू (राज.)।
11. राजस्थान सकरार जरिये तहसीलदार नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।

–प्रतिवादीगण

वकील वादी :– **श्री अमर सिंह शेखावत**
वकील प्रति. :– **राज पैरोकार**

दावा बाबत घोषणार्थ, रिकॉर्ड दुरूस्ती

–:: निर्णय ::–

दिनांक– 25.04.2022

वाद–पत्र का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि :–राजस्व ग्राम देवीपुरा चिराणा में अवस्थित भूमि खाता संख्या 71 के खसरा नम्बर 1491, 1492, 1493, 630, 632, 636, 639, 647, 656 रकबा क्रमशः 0.03, 0.46, 01.26, 0.46, 0.64, 0.04, 0.61, 0.19, 0.76 हैक्टर कुल किता 09 कुल रकबा 4.45 हैक्टर अवस्थित है जो वादीगण के पिता जगदीश उर्फ जगदेवाराम तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 के खातेदारी काश्तकारी व स्वामित्व की भूमि है जो वादीगण को पीढ़ीयों से प्राप्त हुई जिसमें वादीगण स्व0 जगदीश उर्फ जगनाराम पुत्र सुरजाराम के वारिसान है जिनका शामलाती 1/4 हिस्सा, प्रतिवदी नम्बर 1 का 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 का 1/20, प्रतिवादी नम्बर 4 का 1/20 हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 5 का 1/20 हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 6 का 1/20 हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 7 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी नम्बर 8 का 1/12 हिस्सा तथा प्रतिवादी नम्बर 9 का 1/20 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड में चला आ रहा है इसी अनुसार मौके पर अपने–अपने हिस्से में आई भूमि पर काश्त करते चले आ रहे है, जिसे आगे वाद–पत्र में वाद–ग्रस्त भूमि के नाम से सम्बोधित किया जावेगा।

उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि [illegible] के नाम से राजस्व रिकार्ड में चला आ रहा है जबकि जगनाराम उर्फ जगदीश पुत्र सुरजा [illegible] दिनांक 02/04/2015 को हो चुका है परन्तु राजस्व रिकार्ड में जगदीश पुत्र [illegible] बैंक का पासबुक, राशन कार्ड, पहचान पत्र आदि जगदेवाराम पुत्र सुरजाराम के नाम से [illegible] रिकार्ड में गलती से वादीगण के पपित का नाम जगनाराम के बजाय जगदीश दर्ज कर दिया [illegible] जो आज तक राजस्व रिकार्ड [illegible] रूप से चला आ रहा है जिसके कारण से वादी के पिता का नाम [illegible] व रिकार्ड में गलत दर्ज होने [illegible] 02.04.2015 मृत्यु होने के कारण स्व0 जगदेवाराम के वारिसो के नाम नामान्तकरण तस्दीक नही होने के कारण से किसान योजनाओं का लाभ लेने से वंचित हो रहे है इसलिए राजस्व रिकार्ड में जगदीश पुत्र सुरजा के स्थान पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:18:45 IST
Reason: SelfAttested

ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.)
नवलगढ़

जगनाराम पुत्र सुरजाराम रिकार्ड दुरूस्त करवाने हेतु रिकार्ड दुरूस्ती का वाद न्यायालय में प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ।

वादग्रस्त भूमि वादीगण के पिता जगनाराम उर्फ जगदीश पुत्र सुरजाराम का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किया जाकर नाम हटाया जावे तथा उसके 1/4 हिस्से का वादीगण को उसके वारिस होने के कारण से वादग्रस्त भूमि में बराबर–बराबर यानि कि 1/16–1/16 हिस्से के खातेदार काश्तकार घोषित करवाने हेतु वाद घोषणार्थ का प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ।

वादी द्वारा अपनी पैतृक कब्जे काश्त व स्वामित्व की जमाबन्दी हल्का पटवारी से नकल प्राप्त करने पर पता चला कि वादी के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत इन्द्राज कर दिया गया है जबकि वादीगण के पिता का नाम आधार कार्ड, राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड, आदि दस्तावेजात में जगनाराम पुत्र सुरजाराम के नाम से समस्त रिकार्ड बने हुये है। वादीगण द्वारा ई–मित्र पर प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत लाभ लेने के लिए गया तब राजस्व रिकार्ड की नकल दिनांक 10.01.2020 को प्राप्त करने पर वादी को गलत बने राजस्व रिकार्ड का ज्ञान होने पर घोषणार्थ रिकार्ड दुरूस्ती का प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है।

वाद–पत्र में प्रतिवादी नम्बर 01 लगायत 9 के खिलाफ कोई सहायत नही चाही गयी है। खातेदारान होने के कारण वाद–पत्र में बतौर प्रतिवादीगण के रूप में नियोजित किया है। ताकि वाद–पत्र मे आवश्यक पक्षकार का कोई नुक्श नही रह जावे।

प्रतिवादी नम्बर 10 के यहां भूमि पर ऋण प्राप्त कर रखा है जिसके कारण से प्रतिवादी के रूप में पक्षकार नियोजित किया है ताकि आवश्यक पक्षकार का नुक्श नही रह जावे।

प्रतिवादी नम्बर 11 राजस्थान सरकार का प्रतिनिधि है, राजस्थान सरकार भूमिधारक होने के कारण से ऐसे वाद के लिये आवश्यक पक्षकार होने के कारण पक्षकार बनाया गया है, जिससे वाद में पक्षकार का नुक्श नही रह जावे।

घोषणार्थ व रिकार्ड दुरूस्ती का वाद तृतीय अनुसुची के अनुसार किसी भी समय कभी भी प्रस्तुत किया जा सकता है। ऐसे वाद के लिए कोई मियाद तय नही है। इसलिए वाद अन्दर मियाद प्रस्तुत है।

आवेदक व भूमि अदालत हाजा क्षेत्र में अवस्थित होने से अदालत हाजा को सुनवाई करने का पूर्ण अधिकार है। दावा घोषणार्थ व रिकार्ड दुरूस्ती का 04/– रूपये की पूर्ण कोर्ट फीस पर प्रस्तुत है।

वादीगण द्वारा वाद–पत्र में अनतोष चाहा है कि वाद वादीगण बहक खिलाफ प्रतिवादीगण इस उमरकी डिक्री फरमाई जावे कि राजस्व रिकार्ड में गलत रूप से दर्ज जगदीश पुत्र सुरजाराम के बाजय जगनाराम पुत्र सुरजाराम के नाम से दुरूस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड से नाम हटाया जाकर स्व0 स्वर्गीय जगदीश उर्फ जगनाराम पुत्र सुरजाराम के 1/4 हिस्से का वादीगण को 1/16–1/16 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। अन्य कोई सिद्धी चाही जाने से रह गई हो जो वादी के हक में पडती हो वो अलग से दिलवाई जावे।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 11 की तलबी सम्यक रूप से होने के बावजूद प्रतिवादीगण की ओर से कोई भी उपस्थित न्यायालय नही होने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही दिनांक 6.04.2021 को लाई गई।

प्रतिवादीगण की विरूद्ध दिनांक 06.04.2021 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने पर प्रकरण में तनकीयात कायम नही की गई।

शहादत वादी में वादी नम्बर 01 श्रीमती मिश्री देवी पत्नी जगनाराम उर्फ जगदीश तथा वादी नम्बर 4 श्री किशोर कुमार पुत्र जगनाराम उर्फ जगदीश उपस्थित होकर मुख्य परीक्षण का शपथ –पत्र पेश किया तथा अपने वाद के समर्थन में निम्न दस्तावेजात यथा प्रदर्श–ए1 शपथ पत्र, प्रदर्श–ए2 जमाबंदी सम्वत 2075–78, प्रदर्श–ए3 मृत्यु प्रमाण पत्र, प्रदर्श–ए4 बैंक पास बुक की प्रति, प्रदर्श–ए5 राशन कार्ड, प्रदर्श–ए6 राशन कार्ड, प्रदर्श–ए8 पहचान पत्र, प्रदर्श–ए9 वारिस प्रमाण पत्र आदि प्रद[illegible]

प्रतिवादीगण की विरूद्ध दिनांक 06.04.2021 को एक पक्षीय [illegible]वाही अमल में लाई जाने पर शहादत प्रतिवादी नही ली गई।

बहस विद्वान वादी अधिवक्ता सुनी गई। वादीगण अधि[illegible]ने दौरान बहस वाद–पत्र के अंकित तथ्यों को पुनरावृति की गई तथा कथन किया कि राजस्व ग्राम देवीपुरा [illegible]राणा में अवस्थित भूमि खाता संख्या 71 के खसरा नम्बर 1491, 1492, 1493, 630, 632, 636, 639, 647, 65[illegible] रकबा क्रमशः 0.03, 0.46, 01.26, 0.46, 0.64, 0.04, 0.61, 0.19, 0.76 हैक्टर कुल किता 09 कुल रकबा 4.45 हैक्टर जो वादीगण के पिता जगदीश उर्फ जगदेवाराम तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 के खातेदारी काश्तकारी व स्वामित्व की भूमि है। वादीगण को पीढ़ीयों से प्राप्त हुई जिसमें वादीगण स्व0 जगदीश उर्फ जगनाराम पुत्र सुरजाराम के वारिसान है जिनका

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:18:45 IST
Reason: SelfAttested

ए.सी.जे.एम. (फा.ट्रे.)
नवलगढ़

(12)

गामलाती 1/4 हिस्सा, प्रतिवदी नम्बर 1 का 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 का 1/20, प्रतिवादी नम्बर 4 का 1/20 हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 5 का 1/20 हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 6 का 1/20 हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 7 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी नम्बर 8 का 1/12 हिस्सा तथा प्रतिवादी नम्बर 9 का 1/20 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड में चला आ रहा है। वादग्रस्त भूमि वादी के पिता जगदीश उर्फ जगदेवाराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में चला आ रहा है जबकि जगनाराम उर्फ जगदीश पुत्र सुरजाराम का देहान्त दिनांक 02/04/2015 को हो चुका है। अन्य दस्तावेजत बैंक का पासबुक, राशन कार्ड, पहचान पत्र आदि जगदेवाराम पुत्र सुरजाराम के नाम से बने हुये है। राजस्व रिकार्ड में गलती से वादीगण के पिता का नाम जगनाराम के बजाय जगदीश दर्ज कर दिया गया। राजस्व रिकार्ड में गलत रूप से चला आ रहा है जिसके कारण से वादी के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज होने दिनांक 02.04.2015 मृत्यु होने के कारण स्व0 जगदेवाराम के वारिसो के नाम नामान्तकरण तस्दीक नही होने के कारण से किसान योजनाओं का लाभ लेने से वंचित हो रहे है इसलिए राजस्व रिकार्ड में जगदीश पुत्र सुरजा के स्थान पर जगनाराम पुत्र सुरजाराम रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। वादग्रस्त भूमि वादीगण के पिता जगनाराम उर्फ जगदीश पुत्र सुरजाराम का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किया जाकर नाम हटाया जावे तथा उसके 1/4 हिस्से का वादीगण को उसके वारिस होने के कारण से वादग्रस्त भूमि में बराबर–बराबर यानि कि 1/16–1/16 हिस्से के खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस अधिवक्ता वादीगण का मनन किया गया। तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। राजस्व ग्राम देवीपुरा चिराणा में अवस्थित भूमि खाता संख्या 71 के खसरा नम्बर 1491, 1492, 1493, 630, 632, 636, 639, 647, 656 रकबा क्रमशः 0.03, 0.46, 01.26, 0.46, 0.64, 0.04, 0.61, 0.19, 0.76 हैक्टर कुल किता 09 कुल रकबा 4.45 हैक्टर जो वादीगण के पिता जगदीश उर्फ जगदेवाराम तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 के खातेदारी काश्तकारी व स्वामित्व की भूमि है जो प्रदर्श–ए2 जमबांदी सम्वत् 2075–78 से प्रमाणित है। विवादग्रस्त भूमि प्रदर्श–ए2 के अनुसार स्व0 जगदीश उर्फ जगनाराम पुत्र सुरजाराम 1/4 हिस्से के दर्ज खातेदार है। प्रदर्श–ए3 मृत्यु प्रमाण से प्रमाणित है कि जगनाराम उर्फ जगदीश पुत्र सुरजाराम का देहान्त दिनांक 02/04/2015 को हो चुका है। वादीगण स्व0 जगदीश उर्फ जगनाराम पुत्र सुरजाराम के वारिसान है जो प्रदर्श–ए1 वारिस प्रमाण पत्र से सिद्ध होता है। वादग्रस्त भूमि वादी के पिता जगदीश उर्फ जगदेवाराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में चला आ रहा है जबकि जगनाराम उर्फ जगदीश पुत्र सुरजाराम का देहान्त दिनांक 02/04/2015 को हो चुका है। अन्य दस्तावेजत प्रदर्श–ए4 बैंक पास बुक की प्रति, प्रदर्श–ए5 राशन कार्ड, प्रदर्श–ए6 राशन कार्ड, प्रदर्श–ए8 पहचान पत्र, प्रदर्श–ए9 वारिस प्रमाण पत्र आदि जगदेवाराम पुत्र सुरजाराम के नाम से बने हुये है जो प्रमाणित होता है। राजस्व रिकार्ड में गलती से वादीगण के पिता का नाम जगनाराम के बजाय जगदीश दर्ज कर दिया गया। वाद वादीगण प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से पूर्णतया साबित होना पाया गया है। वादीगण के पिता का नाम जगदीश पुत्र सुरजा के स्थान पर जगनाराम पुत्र सुरजाराम दुरूस्त किया जाकर जगदीश के हिस्से की भूमि 1/4 हिस्से में जगदीश के वारिसान वादीगण वादग्रस्त भूमि में बराबर–बराबर यानि कि 1/16–1/16 हिस्से के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित है। वाद वादीगण दस्तावेजी साक्ष्य से पूर्णतया साबित होना पाया जाने से वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम देवीपुरा चिराणा में अवस्थित भूमि खाता संख्या 71 के खसरा नम्बर 1491, 1492, 1493, 630, 632, 636, 639, 647, 656 रकबा क्रमशः 0.03, 0.46, 01.26, 0.46, 0.64, 0.04, 0.61, 0.19, 0.76 हैक्टर कुल किता 09 कुल रकबा 4.45 हैक्टर में वादीगण के पिता का नाम जगदीश पुत्र सुरजा के स्थान पर जगनाराम पुत्र सुरजाराम [illegible] जगदीश के हिस्से की भूमि 1/4 हिस्से में जगदीश के वारिसान वादीगण वादग्रस्त भूमि [illegible]बर यानि कि 1/16–1/16 हिस्से के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा राजस्व [illegible] किया जाने के आदेश दिये जाते है। मुताबिक आदेश राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद [illegible] को आदेश दिये जाते है। पक्षकारान् खर्चा अपना–अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 25.04.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:18:45 IST
Reason: SelfAttested

दमयंती कंवर (R.A.S.)
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक)
नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

(13)

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
मुकाम बईजलास दमयंती कंवर (आर0ए0एस0)

दावा बाबत घोषणार्थ व रिकॉर्ड दुरूस्ती

मुकदमा नम्बर 53/2020 (मिश्री आदि बनाम कोयली आदि)

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **दमयंती कंवर** (आर0ए0एस0),ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.), नवलगढ बहाजिरी. वकील वादीगण मनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब–मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 25.04.2022 निर्णयानुसार राजस्व ग्राम देवीपुरा चिराणा में अवस्थित भूमि खाता संख्या 71 के खसरा नम्बर 1491, 1492, 1493, 630, 632, 636, 639, 647, 656 रकबा क्रमशः 0.03, 0.46, 01.26, 0.46, 0.64, 0.04, 0.61, 0.19, 0.76 हैक्टर कुल किता 09 कुल रकबा 4.45 हैक्टर में वादीगण के पिता का नाम जगदीश पुत्र सुरजा के स्थान पर जगनाराम पुत्र सुरजाराम दुरूस्त किया जाकर जगदीश के हिस्से की भूमि 1/4 हिस्से में जगदीश के वारिसान वादीगण वादग्रस्त भूमि में बराबर–बराबर यानि कि 1/16–1/16 हिस्से के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त किया जाने के आदेश दिये जाते है। मुताबिक आदेश राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के तहसीलदार नवलगढ को आदेश दिये जाते है। पक्षकारान् खर्चा अपना–अपना वहन करेगे।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख. 25.04.2022 को जारी की गई।

सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक)
नवलगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:18:45 IST
Reason: SelfAttested